प्रेषक,

महानिदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उ०प्र०,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।

सेवा में,

सचिव,
इण्डियन मेडिकल एसोसियेशन,
आई०एम०ए०भवन,
1, रिवर बैंक कालोनी, लखनऊ।

संख्या–महा निदे०/कैम्प/ 727 दिनांक 13, जून, 2017

विषय :– राजकीय चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रोगियों के समुचित निदान/उपचार हेतु निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की सेवायें सुलभ कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि प्रदेश में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा विभाग के अन्तर्गत चिकित्सकों के विभिन्न श्रेणी के 18382 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से लगभग 7348 पद रिक्त चल रहे हैं। अत्यधिक संख्या में चिकित्सकों के पद रिक्त होने के कारण जनसाधारण को समय से मानक स्तर की समुचित चिकित्सा सुविधा/सेवायें उपलब्ध कराये जाने में कठिनाई होती है। प्रदेश की लोकप्रिय सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता जन–जन तक गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवायें उनके निकटतम चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्र से समयान्तर्गत उपलब्ध कराये जाने की है।

इस विषय में जनहित के दृष्टिगत आपसे आग्रह है कि कृपया निजी क्षेत्र के चिकित्सकों को प्रेरित कर उनके जनपद के चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर जनपद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी के अनुरोध पर आवश्यकतानुसार रोगियों के निदान/उपचारार्थ अपनी सेवायें प्रदान करने हेतु अनुरोध करने का कष्ट करें ताकि जन सामान्य को समयान्तर्गत चिकित्सा सुविधायें जिला चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों से उपलब्ध हो सकें।

इस सम्बन्ध में आई०एम०ए० की जनपद शाखा/सदस्यों को जारी दिशा निर्देश की एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराये जाने का कष्ट करें।

भवदीय,

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक।

संख्या–महा निदे०/कैम्प/2017/ तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक(चिकित्सा उपचार) स्वास्थ्य भवन, लखनऊ।
3. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ०प्र०।

4. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/समस्त प्रमुख/मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, मण्डलीय/जिला पुरूष/महिला/संयुक्त चिकित्सालय, उ0प्र0 को इस निर्देश के साथ कि जनपद स्तर पर एक बैठक कर चिकित्सालयों/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सकों की आवश्यकता का आंकलन कर मण्डलीय अपर निदेशक का अनुमोदन प्राप्त करते हुए आई0एम0ए0 की जनपद शाखा से निजी क्षेत्र के चिकित्सकों की उपरोक्तानुसार सेवायें प्राप्त किये जाने हेतु अनुरोध कर लें तथा कृत कार्यवाही से महानिदेशालय को भी अवगत करायें।

(पद्माकर सिंह)
महानिदेशक।